संख्या-116/2023/2357/सैंतीस-2-2023-5(2)/2018टीसी2

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-12 अक्टूबर, 2023

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2020-21 में गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना योजनान्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1424/सा0-2/बारह-619(भाग-2)/2023-24, दिनांक-23.09.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-26/2020/882/सैंतीस-2-2020-5(2)/2018, दिनांक-28.03.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना योजनान्तर्गत 28 नवीन गो-संरक्षण केन्द्रों के निर्माण हेतु प्रति केन्द्र रू0-120.00 लाख की दर से कुल रू0-3360.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत वृहद् गो संरक्षण केन्द्र बडनपुर, वि.ख. हसवा, जनपद फतेहपुर के स्थान पर वृहद् गो संरक्षण केन्द्र ग्राम खासमऊ द्वितीय, वि.ख. विजयीपुर, जनपद फतेहपुर पढ़ा जाये।

2- शासनादेश दिनांक-28.03.2020 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-116/2023/2357(1)/सैंतीस-2-2023-5(2)/2018टीसी2, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. सचिव, उ0प्र0 गोसेवा आयोग, लखनऊ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।